

## छत्तीसगढ़ शासन

### वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

—00—

आदेश

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17/11/2020

क्रमांक: 130/वि.आ.प्र./वित्त/चार/2020: पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार स्थानीय निकायों को प्राप्त होने वाले अनुदान के उपयोग को सुनिश्चित करने तथा स्थानीय निकायों की निगरानी एवं कार्यों के समवर्ती मूल्यांकन हेतु निम्नानुसार उच्च स्तरीय निगरानी समिति (High Level Monitoring Committee) का गठन किया जाता है:-


- |   |              |
|---|--------------|
| (1) मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन  | - अध्यक्ष    |
| (2) भार-साधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग  | - सदस्य      |
| (3) भार-साधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग                         | - सदस्य      |
| (4) भार-साधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग                          | - सदस्य      |
| (5) भार-साधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग                          | -सदस्य       |
| (6) भार-साधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग   | -सदस्य       |
| (7) भार-साधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग | -सदस्य       |
| (8) संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा  | - सदस्य सचिव |

2. समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार जिन प्रयोजनों के लिये अनुदान राशि प्राप्त हो रही है, उसका उपयोग उन्ही प्रयोजनों/ उद्देश्यों के लिये किया जा रहा है।

3. यह समिति सम्बंधित विभागों से समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावों के संबंध में वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के निर्धारण, आवश्यक अनुमोदन और लक्ष्यों की प्राप्ति की भी समीक्षा करेगी।

4. समिति की बैठकें आवश्यकता अनुसार समय-समय पर की जा सकेंगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समिति की बैठक वित्तीय वर्ष के प्रत्येक छ:माही में कम-से-कम एक बार आयोजित हो। समिति आवश्यकता अनुसार आवश्यक जानकारी के साथ समिति के सदस्यों के अलावा अन्य अधिकारियों को भी बैठक हेतु आमंत्रित कर सकेंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

  
(डॉ. ए.के.सिंह)

संयुक्त सचिव


दूरभाष क्रमांक- 0771-2510738

पु. क्रमांक .....131...../वि.आ.प्र./वित्त/चार/2020;

नवा रायपुर अटल नगर , दिनांक 17/11/2020

प्रतिलिपि

1. संचालक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, वित्त आयोग अनुभाग, 5वीं मंजिल, ब्लॉक नं 11 सी.जी.ओ. कांप्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003;
2. अवर सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, 11वीं मंजिल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग केजी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को उनके पत्र क्रमांक एन-11013/22/2015-एफडी, दिनांक 22.06.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. मुख्य सचिव के उपसचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर;
4. भार-साधक सचिव (अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव), छत्तीसगढ़ शासन, वित्त/ पंचायत एवं ग्रामीण विकास/ नगरीय प्रशासन एवं विकास/ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/ कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी / वन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर;
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर;
6. संचालक, बजट, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर;
7. संचालक, पंचायत संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर;
8. संचालक, नगरीय प्रशासन, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर;
9. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर;
10. संचालक वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर अटल नगर की ओर वित्त विभाग की वेबसाइट [cgfinance.nic.in](http://cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु;
11. अपर सचिव/ संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर;
12. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, बजट शाखा-4, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर;
13. संबंधित बजट शाखाएं ..... वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर  
..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

  
(अरविंद कुंजूर)  
अवर सचिव